**भारत सरकार**
**विदेश मंत्रालय**
**पासपोर्ट कार्यालय, गोवा**

## परिचय

पासपोर्ट कार्यालय, गोवा ने सन् 1988 से कार्य करना प्रारंभ किया है । यह कार्यालय दो जिलों अर्थात् उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा को सेवाएं प्रदान करता है । यह कार्यालय पट्टो प्लाजा, कादम्बा बस स्टैंड के समीप पणजी, गोवा में स्थित है ।

**कार्यालय का पता :**

पासपोर्ट कार्यालय, पासपोर्ट भवन, 13ए, ईडीसी कॉम्पलेक्स, पट्टो प्लाजा, पणजी, गोवा-403001

## कार्यालय समय (सोमवार से शुक्रवार)

| | |
|---|---|
| प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक | आवेदन फॉर्म प्रस्तुत करने, फॉर्मों की बिक्री, ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन, पूछताछ, पासपोर्ट अधिकारी से तत्काल मिलने आदि के लिए ।<br><br>पासपोर्ट अधिकारी अथवा जन संपर्क अधिकारी से मिलने के लिए कृपया संबंधित दस्तावेज अर्थात् तत्काल स्कीम के मामले में कृपया अनुबंध च और अनुबंध झ तथा किसी अन्य आपत्ति की स्थिति में आवास का प्रमाण, जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं / 12वीं के प्रमाण पत्र आदि साथ लाएं । |
| सायं 04.15 बजे से 05.45 बजे तक | पासपोर्टों की सुपुर्दगी (जो पासपोर्ट अधिकारी द्वारा नियत की जाती है) एवं विविध पासपोर्ट सेवा |

## वर्ष 2009 के दौरान अवकाशों की सूची

| तारीख | अवकाश |
|---|---|
| 08.01.2009 | मुहर्रम |
| 26.01.2009 | गणतंत्र दिवस |
| 23.02.2009 | महा शिवरात्रि |

| | |
|---|---|
| 10.03.2009 | मिलाद - उन - नबी |
| 11.03.2009 | होली |
| 27.03.2009 | गुडी पड़वा |
| 07.04.2009 | महावीर जयंती |
| 10.04.2009 | गुड फ्राइडे |
| 09.05.2009 | बुद्ध पूर्णिमा |
| 15.08.2009 | स्वतंत्रता दिवस |
| 21.09.2009 | ईद उल फितर |
| 28.09.2009 | दशहरा (विजय दशमी) |
| 02.10.2009 | महात्मा गांधी जयंती |
| 17.10.2009 | दिवाली |
| 02.11.2009 | गुरु नानक जयंती |
| 28.11.2009 | ईद उल जुहा (बकरीद) |
| 25.12.2009 | क्रिसमस दिवस |
| 28.12.2009 | मुहर्रम |

**कार्य क्षेत्र**

गोवा राज्य का संपूर्ण क्षेत्र

**अधिकारियों की सूची**

| **नाम** | **पदनाम** |
|---|---|
| श्री एस बी हीरे | पासपोर्ट अधिकारी |

**अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण**

| **क्रम सं.** | **अधिकारी की श्रेणी** | **संख्या** | **वेतनमान / ग्रेड** |
|---|---|---|---|
| 1 | क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी | शून्य | |
| 2 | उप पासपोर्ट अधिकारी | 1 | 15600-39100 + 6600 |
| 3 | सहायक पासपोर्ट अधिकारी | शून्य | |
| 4 | अधीक्षक | 2 | 9300 - 34800 + 4600 |
| 5 | सहायक | शून्य | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | आशुलिपिक ग्रेड | 1 | 9300 - 34800 + 4200 |
| 6 | उच्च श्रेणी लिपिक | शून्य | |
| 7 | कनिष्ठ हिंदी अनुवादक | शून्य | |
| 7 | अवर श्रेणी लिपिक | 8 | 5200 - 20200 + 1900 |
| 8 | ड्राइवर | 1 | 5200 - 20200 + 2400 |
| 8 | ग्रुप डी | 3 | 4440-7440 + 1400 |

**संपर्क**


फोन : 0832 - 2437601 (सीधा)
0832 - 2437602 (सामान्य)

फैक्स : 0832 - 2437603

ई - मेल : rpo.panaji@mea.gov.in

पूछताछ के लिए टेलीफोन : 0832 - 2437605 से 08

वेबसाइट : http://passportgoa.gov.in/


## आवेदन कहां करें

ऑन लाइन आवेदन किया जा सकता है अथवा पासपोर्ट कार्यालय पणजी में आवेदन फॉर्म जमा किए जा सकते हैं

## काउंटर का ब्योरा

| काउंटर # | सेवा का विवरण |
|---|---|
| काउंटर संख्या 1 | |
| काउंटर संख्या 2 | पासपोर्ट सुविधा काउंटर |
| काउंटर संख्या 3 | |
| काउंटर संख्या 6 | पूछताछ / फॉर्मों की आपूर्ति आदि |
| काउंटर संख्या 7 | नए, पुनः निर्गमन / गुम / खराब हो गए पासपोर्टों के आवेदनों की जांच / एजेंट काउंटर |
| काउंटर संख्या 8 | वरिष्ठ नागरिक काउंटर |
| काउंटर संख्या 9 | फीस लेना |
| काउंटर संख्या 10 | विविध सेवाओं के लिए जांच और फीस लेना, तत्काल फीस लेना |
| काउंटर संख्या 11 | पासपोर्टों की डिलीवरी |

**शिकायतें**

श्री एस बी हीरे
पासपोर्ट अधिकारी
पासपोर्ट भवन,
13 ए, ईडीसी कॉम्पलेक्स,
पट्टो प्लाजा,
पणजी, गोवा 403 001.
फोन : 0832 – 2437601 (सीधा)
0832 - 2437602 (सामान्य)
फैक्स 0832 - 2437603

**आवेदन की स्थिति**

अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए यहां क्लिक करें

**फोन पर पूछताछ**

फोन पर पूछताछ के लिए डायल करें : 0832 - 2437605 से 08

**सूचना का अधिकार**

श्री एस बी हीरे
पासपोर्ट अधिकारी
पासपोर्ट भवन,
13 ए, ईडीसी कॉम्पलेक्स,
पट्टो प्लाजा,
पणजी, गोवा 403 001.
फोन : 0832 – 2437601 (सीधा)
0832 - 2437602 (सामान्य)
फैक्स 0832 - 2437603

**पासपोर्ट की डिलीवरी**

पासपोर्ट की डिलीवरी स्पीड पोस्ट से की जाती है और काउंटर पर डिलीवरी (पासपोर्ट अधिकारी के आश्वासन पर) के मामले में केवल आवेदक को ही पासपोर्ट दिए जाएंगे । किसी प्राधिकार पत्र पर कोई पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा ।

**अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न**

**01. पासपोर्ट कार्यालय, पणजी, गोवा में पासपोर्ट के लिए कौन आवेदन कर सकता है ?**

गोवा में रहने वाला कोई भी व्यक्ति पासपोर्ट कार्यालय, पणजी, गोवा में आवेदन कर सकता है ।

**02. पासपोर्ट के लिए कब आवेदन किया जा सकता है ?**

आप किसी भी समय आवेदन कर सकते हैं जब आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हों । कृपया ब्योरेवार विनिर्देश के लिए वेबसाइट www. passport.gov.in अथवा पासपोर्ट सूचना पुस्तिका देखें ।

जहां तक विद्यमान पासपोर्टों के पुन: निर्गमन का संबंध है, इसकी समाप्ति की तारीख से एक वर्ष पहले भी आवेदन किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त, अधिकांश दूतावास जो वीजा जारी करते हैं, वीजा के मसले पर विचार करने से पहले वे 6 माह से एक वर्ष तक की पासपोर्ट वैधता पर जोर देते हैं । तदनुसार, पुन: निर्गमन के लिए समय से पहले आवेदन करें और अंतिम क्षणों में भीड़ से बचें ।

जारी किए जाने वाले प्रत्येक पासपोर्ट पर नई संख्या और वैधता अवधि होती है । इस समय अतिरिक्त पुस्तिका / पुन: निर्गमन के आवेदन पर भी पासपोर्ट, जारी किए जाने की तारीख से 10 वर्ष की वैधता के लिए जारी किए जाते हैं । बाद में पुलिस सत्यापन के आधार पर तत्काल पासपोर्ट भी 10 वर्ष की वैधता अवधि के लिए जारी किए जाते हैं । केवल अवयस्कों को 5 वर्ष की वैधता अवधि अथवा 18 वर्ष की आयु तक के लिए पासपोर्ट जारी किए जाते हैं ।

**03. ऑनलाइन आवेदन कौन कर सकता है ?**

नए पासपोर्ट, नवीकरण, पुन: निर्गमन, अतिरिक्त पुस्तिका के लिए आवेदन करने वाला कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकता है । विविध सेवाओं अर्थात् ईसीएनआर, पीसीसी, आवासीय पते में परिवर्तन आदि के लिए आवेदन करने वाले आवेदक, ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते । ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वेबसाइट www.passport.gov.in है और ब्योरेवार निर्देशों के लिए कृपया वेबसाइट पर दी गई सूचना पढ़ें । यदि आप तत्काल सेवा चाहते हैं तो आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे अनुबंध – च और झ के साथ ऑनलाइन आवेदन करें ताकि पासपोर्ट कार्यालय, काउंटर पर आवेदन स्वीकार कर सके और नियत समय में पासपोर्ट दे सके ।

**04 : क्या ऑनलाइन रजिस्टर करने के पश्चात् मुझे पासपोर्ट आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पासपोर्ट कार्यालय, पणजी जाना होगा ?**

जी हां । आवेदक को सभी अपेक्षित दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर आना होता है । अपने साथ पासपोर्ट आवेदन का प्रिंटआउट लाएं जिस पर रजिस्ट्रेशन संख्या तथा आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पासपोर्ट कार्यालय आने

की नियत तारीख होती है । अंतिम कुछेक कॉलम हाथ से भरने होते हैं, आवेदन पर हस्ताक्षर करने होते हैं और आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करने होते हैं । किसी प्राधिकार पत्र के आधार पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत नहीं किए जा सकते । इसके अतिरिक्त, आप कंप्यूटर द्वारा स्वतः आबंटित तारीख से 15 दिनों तक किसी भी दिन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं ।

**05 : मैं भुगतान कैसे कर सकता हूं ?**

लागू पासपोर्ट शुल्क और तत्काल शुल्क, काउंटर पर नकद रूप में अथवा पासपोर्ट अधिकारी, पणजी, गोवा के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं । काउंटर पर दी गई धनराशि की मुद्रित रसीद प्राप्त करें । कृपया रसीद के पीछे दी गई सूचना देखें ।

**06 : जब पासपोर्ट कार्यालय में आवेदन की जांच की जाती है तो क्या – क्या प्रमुख खामियां पाई जाती हैं ?**

i) कुछ कॉलम खाली छोड़ दिए जाते हैं । सभी कॉलम भरे जाने चाहिए अथवा यदि वे लागू नहीं हैं तो उनमें विशेष रूप से हां / नहीं अथवा लागू नहीं भरा जाना चाहिए ।

ii) यदि आवेदक ने अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से पिछले एक वर्ष के दौरान एक से अधिक स्थानों पर निवास किया है, तो सभी पतों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए और प्रत्येक पते के लिए अतिरिक्त व्यक्तिगत विवरण फॉर्म भरा जाना चाहिए । यदि पुलिस सत्यापन के दौरान, आवास से संबंधित कोई सूचना अपूर्ण पाई जाती है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है एवं मामले पर कार्रवाई में पर्याप्त विलंब भी होगा । एक ही आवास में एक वर्ष तक निवास का प्रमाण अपेक्षित है । कृपया पहले और 12वें महीने की बैंक स्टेटमेंट / बिजली का बिल / टेलीफोन का बिल प्रस्तुत करें, पूरे 12 महीनों के बिल प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है । ये बिल स्वतः अनुप्रमाणित हो सकते हैं और नोटरी से अनुप्रमाणित कराए जाने की आवश्यकता नहीं है । तथापि, सत्यापन के लिए मूल प्रति साथ लाएं और सत्यापन के पश्चात् ये प्रतियां वापस कर दी जाएंगी । ईसीएनआर जैसी विविध सेवाओं के लिए मूल दस्तावेज रख लिए जाएंगे और सुपुर्दगी के समय वापस कर दिए जाएंगे ।

iii) जब भी फॉर्म में पत्नी का नाम शामिल कराया जाता है और यदि आवेदक के पिछले पासपोर्ट में पत्नी का नाम शामिल नहीं था तो अनुबंध – घ के अनुसार संयुक्त फोटो शपथ – पत्र के साथ विवाह प्रमाण पत्र संलग्न करें ।

iv) इसी प्रकार, यदि नए आवेदन में पत्नी के नाम का उल्लेख नहीं किया जा रहा है जबकि पिछले पासपोर्ट में पत्नी का नाम था तो तलाक विलेख / मृत्यु प्रमाण पत्र आदि संलग्न करें ताकि पासपोर्ट कार्यालय आवेदन के अनुरोध को स्वीकार कर सके ।

v) अवयस्क आवेदकों के मामले में माता – पिता दोनों को मुख्य फॉर्म और अनुबंध – ज में हस्ताक्षर करने चाहिए । यदि पति अथवा पत्नी विदेश में है तो आवेदन के साथ अनापत्ति का शपथ – पत्र संलग्न किया जाना चाहिए । शपथ – पत्र उस देश में स्थित भारतीय दूतावास से अनुप्रमाणित होना चाहिए जहां पति / पत्नी सामान्यत: रह रहा है / रह रही है । यदि माता – पिता के पास पासपोर्ट नहीं है तो अनुबंध – झ में शपथ – पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा शपथ – पत्र पर माता और पिता दोनों के फोटोग्राफ चिपकाए जाएं और अनुप्रमाणित किए जाएं । अवयस्क के माता – पिता की फोटो पहचान अर्थात् पैन कार्ड, मतदाता कार्ड भी आवश्यक है ।

vi) 26.1.1989 के बाद जन्मे अवयस्क के आवेदन के साथ जन्म रजिस्ट्रार अथवा नगरपालिका द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र लगाया जाना चाहिए । ऐसे आवेदकों के लिए एसएलसी प्रमाण पत्र आदि विधिमान्य दस्तावेज नहीं हैं । 26.1.1989 के पहले जन्मे अन्य सभी आवेदकों को जन्म तिथि और जन्म स्थान के प्रमाण के रूप में अपना एसएससी / एसएलसी प्रमाण पत्र / सीबीएसई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए । यदि एसएससी प्रमाण पत्र में जन्म के स्थान का उल्लेख नहीं है तो जन्म तिथि के प्रमाण के साथ जन्म के स्थान की एक स्वत: घोषणा प्रस्तुत की जानी चाहिए । केवल निरक्षर आवेदक और सामान्यत: 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति ही अपनी जन्म तिथि और जन्म के स्थान का उल्लेख करते हुए नोटरी का शपथ – पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं तथा उन्हें राशन कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / पैन कार्ड आदि भी प्रस्तुत करना होगा जिसमें आयु / जन्म तिथि का भी उल्लेख होता है ।

vii) सुनिश्चित करें कि 3.5 सेमी X 3.5 सेमी आकार का रंगीन फोटोग्राफ हो जिसमें पूरा चेहरा और दोनों कान दिखाई दें तथा आवेदक के फोटो के मुकाबले में पृष्ठभूमि विषम हो । चूंकि अब फोटोग्राफ की स्कैनिंग की जाती है और यदि फोटो एवं पृष्ठभूमि एक ही रंग की है, तो उसकी समुचित स्कैनिंग नहीं की जा सकती । फोटो पर कोई हस्ताक्षर अथवा मुहर नहीं होनी चाहिए । श्याम और श्वेत फोटोग्राफ, रंगीन अथवा गहरे रंग के चश्मे वाले अथवा वर्दी में फोटोग्राफ, पोलारॉइड अथवा कंप्यूटर प्रिंट स्वीकार नहीं किए जाएंगे । बच्चों के मामले में दोनों आंखें खुली होनी चाहिए ।

viii) एकल माता – पिता को केवल मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र का समुचित शपथ – पत्र प्रस्तुत करना चाहिए ।

ix) विदेश में रह रहे माता – पिता की ओर से आवेदन प्रस्तुत करने वाले अभिभावकों को विदेश स्थित दूतावास / मिशन द्वारा विधिवत् अनुप्रमाणित शपथ – पत्र के रूप में माता – पिता की सहमति और ऐसे दो गवाहों के शपथ – पत्र प्रस्तुत करने चाहिए जो आपको जानते हों ।

x) हस्ताक्षर के लिए केवल बॉल पैन का प्रयोग करें और जहां भी हस्ताक्षर अपेक्षित हैं वहां हस्ताक्षर करें । रोलर बॉल पैन, इंक पैन / जैल पैन से किए गए हस्ताक्षर लेमिनेशन करते समय गर्मी से धुंधले हो जाते हैं और पासपोर्ट में धुंधले हस्ताक्षर के लिए पासपोर्ट कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा । आवेदक को नई पुस्तिका के लिए भुगतान के साथ पुनः आवेदन करना होगा ।

xi) सभी फॉर्म और शपथ – पत्र वेबसाइट www.passport.gov.in से निःशुल्क डाउनलोड किए जा सकते हैं अथवा पासपोर्ट सूचना पुस्तिका से लिए जा सकते हैं ।

xii) प्रस्तुत दस्तावेजों की फोटो प्रतियां स्वतः अनुप्रमाणित होनी चाहिए । इन्हें नोटरी से अनुप्रमाणित कराने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

xiii) तत्काल आवेदन जिनके साथ अनुबंध च अथवा सत्यापन प्रमाण पत्र लगा होता है, सदैव प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी की आधिकारिक स्टेशनरी पर होना चाहिए और मोबाइल फोन के साथ अधिकारी के कार्यालय एवं आवास का टेलीफोन नंबर, अधिकारी के फोटोग्राफ युक्त पहचान पत्र की प्रति अनिवार्यतः संलग्न होनी चाहिए तथा आवेदक के फोटो पर कार्यालय की मुहर लगी होनी चाहिए । रक्षा अधिकारियों को रिकार्ड के लिए कोई अन्य फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना चाहिए क्योंकि उन्हें अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है । उपर्युक्त के बगैर प्राप्त आवेदन काउंटर पर अस्वीकार कर दिए जाएंगे ।

**07 : यदि मेरा पासपोर्ट गुम हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए ?**

जहां आपका पासपोर्ट गुम हुआ है, उसके निकटतम थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराएं । एफआईआर में गुम हुए पासपोर्ट की संख्या का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए । यदि एक से अधिक पासपोर्ट गुम हुए हैं और एक ही एफआईआर दर्ज कराई गई है, तो प्रत्येक मामले में विधिवत् अनुप्रमाणित एफआईआर की प्रति प्रस्तुत करें और उस आवेदन का भी उल्लेख करें जिसके साथ मूल एफआईआर प्रस्तुत की गई है । मूल एफआईआर की एक प्रति, सामान्य पासपोर्ट आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित अन्य सभी दस्तावेज, गुम हुए पासपोर्ट की प्रति (यदि उपलब्ध हो), पासपोर्ट

गुम होने / खराब होने का शपथ – पत्र और यदि पासपोर्ट की तत्काल आवश्यकता हो, तो अनुबंध – झ और च प्रस्तुत करें । यदि पासपोर्ट किसी अन्य पासपोर्ट कार्यालय से जारी किया गया था अथवा विदेश स्थित हमारे किसी भारतीय दूतावास / उच्चायोग द्वारा जारी किया गया था तो पासपोर्ट प्रदान करने से पहले पासपोर्ट के विवरण और फोटो के बारे में उनसे पुष्टि प्राप्त करनी होगी ।

08 : **यदि मुझे गलत सूचना के साथ पासपोर्ट प्राप्त होता है अथवा अनजाने में डाक / पासपोर्ट कार्यालय की गलती के कारण किसी दूसरे व्यक्ति का पासपोर्ट प्राप्त होता है तो मुझे क्या करना चाहिए ?**

कृपया इस कार्यालय को पासपोर्ट तत्काल वापस कर दें । यदि पासपोर्ट कार्यालय की गलती के कारण ऐसा हुआ है तो हम इसमें सुधार करेंगे और बिना किसी शुल्क के आपको वापस भेजेंगे । आवेदक को एक पृष्ठ का सुधार फॉर्म भरना होगा । यदि यह गलती आवेदक द्वारा आवेदन में दी गई गलत जानकारी के कारण है, तो आवेदक को पुस्तिका के लिए आवेदन करना होगा और पूरे शुल्क के साथ इसे कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा । यदि तथ्य गलत ढंग से प्रस्तुत किए गए हैं तो जुर्माना भी लगाया जा सकता है ।

तथापि, आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन करने का अनुरोध किया जाता है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि पासपोर्ट बिना किसी गलती के सुपुर्द किए जाएं क्योंकि आवेदक ने जानकारी स्वयं भरी होती है । हस्तलिखित आवेदन कई बार अपठनीय होते हैं और उनमें स्वच्छ अक्षरों में नहीं लिखा जाता और डाटा प्रविष्टि करने वाले आपरेटर कभी - कभी अक्षर अथवा अंक की सही – सही पहचान नहीं कर पाते ।

09 : **क्या मैं प्राधिकार पत्र के आधार पर आवेदन प्रस्तुत कर सकता हूं ?**

जी हां । प्राधिकार पत्र के आधार पर पासपोर्ट आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं । किंतु अधिकृत व्यक्ति सामान्यतः सगा संबंधी होना चाहिए और सत्यापन के लिए उसके पास फोटो पहचान पत्र होना चाहिए । विदेश मंत्रालय द्वारा अनुमोदित अधिकृत ट्रैवल एजेंट जो आवेदक का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्राधिकार के आधार पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं ।

10 : **क्या कोई व्यक्ति प्राधिकार पत्र के आधार पर नया पासपोर्ट प्राप्त कर सकता है ?**

जी नहीं । पासपोर्ट सामान्यतः काउंटर पर सौंपे जाते हैं । यदि इसे सौंपा जाता है तो अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर आवेदक को ही सौंपा जा सकता है । अवयस्कों के पासपोर्ट माता या पिता को सौंपे जा सकते हैं जिन्होंने अनापत्ति प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं । ऐसे पासपोर्ट जिन पर विविध सेवाएं प्रदान की जाती हैं, काउंटर पर आवेदक को अथवा अधिकृत प्रतिनिधि वरीयतः सगे संबंधी को सौंपे जाते हैं । आवेदन

प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत ट्रैवल एजेंटों को भी अपनी कंपनी का फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर काउंटर पर पासपोर्ट सौंपने के लिए अधिकृत किया जाता है । (केवल विविध सेवाएं)

11 : **यदि मेरे विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा है तो मुझे क्या करना चाहिए ?**

आवेदन फॉर्म के उचित कॉलम में पूरा विवरण दें । इसके अतिरिक्त, विदेश यात्रा के लिए अनुमति प्रदान करते हुए न्यायालय का आदेश प्राप्त करें जो मूल रूप में न्यायालय द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित होना चाहिए और इसे आवेदन के साथ संलग्न करें । यदि एक से अधिक मुकदमे हैं तो आदेश में सभी मुकदमे शामिल होने चाहिए । निर्धारित शर्तों के अनुसार, विदेश यात्रा के लिए न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करने और संबंधित अधिकारियों द्वारा किसी समय दिए गए निर्देश के अनुसार पासपोर्ट वापस करने के लिए वचनबद्धता के बारे में एक शपथ – पत्र प्रस्तुत करें ।

न्यायालय में लंबित मामलों के बारे में सूचना छिपाने पर 5000/- रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और आवेदन पर कार्रवाई करने में अतिरिक्त विलंब भी होगा ।

12 : **अपना पासपोर्ट आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् मुझे क्या करना चाहिए ?**

नए पासपोर्ट के लिए आवेदन के मामले में, हम आपका आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख के अगले दिन पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के लिए व्यक्तिगत विवरण फॉर्म संबंधित पुलिस उपायुक्त / जिला पुलिस अधीक्षक को भेजते हैं । तत्पश्चात् ये अधिकारी सत्यापन के लिए व्यक्तिगत विवरण फॉर्म आपके स्थानीय थाने को भेजते हैं । तदनुसार, यदि अपने आवेदन की तारीख से 15 दिनों के अंदर स्थानीय थाने से आपको कोई सूचना नहीं मिलती है तो अपने दस्तावेजों और शुल्क की रसीद के साथ आप थाने जाएं और अपना पुलिस सत्यापन कराएं ।

13 : **अपना आवेदन प्रस्तुत करने से पहले मुझे अपने ट्रैवल एजेंट से क्या जानकारी लेनी चाहिए ?**

कृपया जांच करें कि ट्रैवल एजेंट, पासपोर्ट कार्यालय द्वारा अधिकृत है अथवा नहीं । पासपोर्ट कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुमोदित ट्रैवल एजेंट, अपने ग्राहकों की ओर से एक दिन में 7 आवेदन ही प्रस्तुत कर सकते हैं । इन्हें केवल आवेदन प्रस्तुत करने के लिए ही अधिकृत किया जाता है, तत्काल सेवा के लिए आवेदक को स्वयं पासपोर्ट कार्यालय आना होगा । विभिन्न सेवाओं के लिए शुल्क, मिलान आदि प्रयोजनों के लिए हमारी वेबसाइट http://www.passport.gov.in पर पहले से ही उपलब्ध हैं ।